मध्यप्रदेश नगरीय निकाय की वर्तमान स्थिति का अध्ययन बालाघाट जिले की नगरपालिका के विशेष संदर्भ में

मोनिका मार्को[1], डॉ. प्रीति कुशवाहा[2]

[1]रिसर्च स्कॉलर, राजनीति विज्ञान विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय बालाघाट, मध्यप्रदेश.
[2]पर्यवेक्षक, राजनीति विज्ञान विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय बालाघाट, मध्यप्रदेश.

सारांश:
भारत में नगरीकरण की तीव्र गति ने नगरीय स्थानीय निकायों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। संविधान के ७४वें संशोधन अधिनियम, १९९२ के माध्यम से नगरीय निकायों को स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। मध्यप्रदेश में नगरीय प्रशासन नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद के रूप में त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना तथा बालाघाट नगरपालिका के विशेष संदर्भ में उनकी प्रशासनिक, वित्तीय एवं विकासात्मक भूमिका का मूल्यांकन करना है। यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिसमें जनगणना रिपोर्ट, मध्यप्रदेश शासन की रिपोर्टें, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग के दस्तावेज, शोध आलेख तथा प्रकाशित पुस्तकों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों के समक्ष वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति तथा नगरीय नियोजन जैसी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। बालाघाट नगरपालिका भी इन चुनौतियों का सामना कर रही है, यद्यपि विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं स्थानीय प्रशासनिक प्रयासों के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं में सुधार की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अध्ययन निष्कर्ष रूप में यह स्पष्ट करता है कि नगरीय निकायों को अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

बीज शब्द: नगरीय स्थानीय निकाय, नगर पालिका, बालाघाट, मध्यप्रदेश, नगरीय प्रशासन, ७४वाँ संविधान संशोधन, स्थानीय स्वशासन, नगरीकरण, नगरपालिका शासन।

प्रस्तावना:
भारत में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) या नगरपालिकाओं की एक लंबी परंपरा रही है, जिसका पता रामायण और महाभारत में 'पौरा', 'निगम', 'पौगा', 'गण' जैसे विभिन्न रूपों के संदर्भों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि में लगाया जा सकता है। मध्यकाल में भी, मुगल शासन के दौरान, शहरी प्रशासन कोतवाल के अधीन था, जो विभिन्न नगरपालिका और मजिस्ट्रेटीय कार्यों को नियंत्रित करता था। अंग्रेजों ने १८३५ के नगर निगम अधिनियम के पारित होने के साथ भारत में 'आधुनिक' शहरी स्वशासन की शुरुआत की और १८७० तक लगभग २०० नगरपालिकाएं कार्यरत थीं। इसके बाद कई सुधार हुए। इनमें से उल्लेखनीय है लॉर्ड रिपन का १८८२ का प्रस्ताव, जिसने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी, जैसा कि आज मौजूद है, जिसमें दो-तिहाई सदस्यों का गैर-सरकारी होना, स्थानीय निकायों के गठन के साधन के रूप में चुनाव को अपनाना और वित्तीय विकेंद्रीकरण का व्यापक प्रावधान शामिल है। [१]

स्वतंत्रता के बाद, काफी समय तक ग्रामीण भारत पर ध्यान केंद्रित रहा और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी गई। राज्य सूची में स्थानीय निकायों का उल्लेख किया गया, जिससे राज्यों को कानूनों के माध्यम से उनकी भूमिका परिभाषित करने का अधिकार मिला। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी छठी रिपोर्ट (२००७) में कहा कि इस दौरान यूएलबी की मुख्य विशेषताएं अनियमित चुनाव, कठोर सरकारी नियंत्रण, अपर्याप्त स्वायत्तता और क्षमता का अभाव थीं। १९९२ में भारत के संविधान के ७४वें संशोधन ने एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया, जिसके तहत यूएलबी या नगरपालिकाओं को स्थानीय स्वशासन की पूर्ण विकसित और जीवंत संस्थाओं के रूप में परिकल्पित किया गया, जिन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित व्यापक कार्य और जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

देश का मध्य प्रदेश राज्य भौगोलिक दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या ७.२७ करोड़ है। इस जनसंख्या में से २.०१ करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। शहरी मध्य प्रदेश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं, गरीबी उन्मूलन, अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण आदि। इस परिदृश्य में, शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इनमें से अधिकांश मुद्दों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही बेहतर तरीके से किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में, शहरी स्थानीय निकायों को उनके अधिकार क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। इस ऑडिट का उद्देश्य यह देखना था कि क्या राज्य सरकार ने कार्यों, निधियों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण के माध्यम से एक मजबूत संस्थागत ढांचा बनाकर शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया है। किसी भी संस्था के प्रभावी संचालन के लिए पर्याप्त और उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। शहरी स्थानीय निकायों के पास न तो कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन करने का अधिकार था और न ही संविदात्मक आधार पर स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने का, क्योंकि ये अधिकार राज्य सरकार के पास निहित थे। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों से वास्तविक आवश्यकता जाने बिना, केवल जनसंख्या के आधार पर कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन किया। अधिकांश कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई थी, और उनकी सेवा शर्तों, अनुशासन और आचरण को विनियमित करने की शक्तियाँ राज्य सरकार के पास हैं। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहे थे और आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों पर बहुत अधिक निर्भर थे। [२]

शहरी स्थानीय निकायों के सफल संचालन के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं का पालन और विभिन्न समितियों की नियमित बैठकें अनिवार्य हैं। हालांकि, हमने पाया कि निगमों/परिषदों की बैठकें निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयोजित नहीं की गईं। १२ शहरी स्थानीय निकायों में सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया गया था। दूसरी ओर, स्थानीय शासन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गठित वार्ड समितियाँ और मोहल्ला समितियाँ अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में गठित नहीं की गईं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम में प्रावधान के अभाव के कारण, किसी भी शहर में महानगर नियोजन समितियों का गठन नहीं किया गया था। जिन २५ जिलों में ३३ जांचे गए शहरी स्थानीय निकाय स्थित थे, उनमें से किसी भी जिले में जिला योजना समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जाती थीं और आम हित के मामलों पर विचार करते हुए पूरे जिले के लिए समेकित जिला विकास योजनाएँ तैयार नहीं की गई थीं।

बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य, भारत के बालाघाट जिले में स्थित एक शहर और नगरपालिका है। यह बालाघाट जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। वैनगंगा नदी शहर के किनारे बहती है। निकटतम हवाई अड्डा बिरसी (गोंडिया) है। [३]
शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) कस्बों और शहरों के लिए नगरपालिका सरकार है। जनसंख्या के आधार पर, यह नगर पंचायत (छोटा शहर), नगर पालिका/नगरपालिका (मध्यम शहर) या नगर निगम/नगर निगम (बड़ा शहर) हो सकता है। यह नागरिक सेवाएं - जल, स्वच्छता, सड़कें, स्ट्रीट लाइट - प्रदान करता है और व्यापार लाइसेंस, विक्रेता परमिट और डी-जेएवाई(एस) जैसी शहरी आजीविका योजनाओं का संचालन करता है। यदि आप किसी कस्बे में रहते हैं, तो यूएलबी वह स्थान है जहां नागरिक शिकायतें, व्यवसाय परमिट और शहरी कल्याण कार्यक्रम संभाले जाते हैं।

मध्य प्रदेश शहरी प्रशासन के तथ्य

- मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर है। यह १८६४ में नगर निगम बना। इसे मध्य प्रदेश में शहरी प्रशासन की शुरुआत माना जाता है।
- मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका १९०७ में दतिया में गठित हुई।
- मध्य प्रदेश के गठन के बाद, मध्य प्रदेश में शहरी प्रशासन के लिए मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम १९५६ पारित किया गया।
- मध्य प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य राज्य में नगरपालिका संरचना को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन देना था।
- मध्य प्रदेश विधानमंडल ने इन सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम १९६१ पारित किया।
- मध्य प्रदेश में ७४वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए, सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम १९९४ बनाए। [४]

साहित्य की समीक्षा:

पिछले तीन दशकों में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है, जो देश में शहरीकरण की उच्च दर से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। २०११ की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग ३७७ मिलियन शहरी आबादी है, जो विभिन्न आकार और श्रेणियों के ७९३३ शहरी केंद्रों में निवास करती है। इसके परिणामस्वरूप, हाल के दशकों में शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक और वित्तीय शक्ति के हस्तांतरण के साधन के रूप में विकेंद्रीकरण के महत्व को अच्छी तरह से समझा गया है। हालांकि, भारत में शहरी निकायों के बेहतर स्थानीय शासन में कई बड़ी बाधाएं हैं, जैसे कि संघीय सरकार की संरचना जिसने १९९२ में संविधान में संशोधन करने के बावजूद अपने तीसरे स्तर को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान नहीं की है, शहरी नियोजन और प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचे में एक कमजोर कड़ी, एक राजनीतिक वातावरण जो स्पष्ट रूप से ग्रामीण मामलों की ओर झुका हुआ है, आदि (अहलुवालिया, २०१९)। [५]

भारत का संविधान शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, जिसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। हालांकि, व्यवहार में, शहरी स्थानीय निकाय अक्सर सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के तीन मूलभूत कार्यों - आवंटन, वितरण और स्थिरीकरण - को समझने में विफल रहते हैं। जबकि शहरी स्थानीय निकायों मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कार्यात्मक आवंटन के प्रति उनके दृष्टिकोण में काफी भिन्नता पाई जाती है। अधिकांश नगरपालिकाओं के पास निधि आवंटन का प्रभावी प्रबंधन करने या आर्थिक स्थिरीकरण और वितरण कार्यों को संभालने के लिए विशेषज्ञता और वित्तीय क्षमता दोनों की कमी है। हालांकि कुछ नगरपालिकाओं ने अपने क्षेत्रों में पुनर्वितरण उपाय लागू किए हैं, लेकिन उनका कमजोर वित्तीय प्रबंधन बड़े पैमाने पर स्थिरीकरण कार्यों को करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।

परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकायों मुख्य रूप से स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं, विशेष रूप से कम आय वाले और कमजोर आबादी की सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हुए। शहरी स्थानीय निकायों की संरचना, वित्तीय शक्तियां और परिचालन तंत्र केंद्र और राज्य सरकारों से काफी भिन्न हैं, जो उन्हें स्वतंत्र वित्तीय निर्णय लेने वालों के बजाय आर्थिक विकास में सहायक संस्थाओं के रूप में स्थापित करते हैं। संविधान नगरपालिकाओं को विशिष्ट कार्यात्मक जिम्मेदारियां सौंपता है, विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में। हालांकि, तीव्र शहरीकरण ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य रखरखाव जैसी संस्थागत चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्वच्छ और रहने योग्य वातावरण आवश्यक है। बालासुब्रमणियन (२०१८) इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शहरी विस्तार और बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों के कारण भारत और विश्व स्तर पर ठोस अपशिष्ट उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। [६]

उद्देश्य:

- मध्यप्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
- मध्यप्रदेश में नगरीय प्रशासन की संरचना एवं कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना।
- बालाघाट नगरपालिका की प्रशासनिक एवं विकासात्मक गतिविधियों का मूल्यांकन करना।

अनुसंधान क्रियाविधि:

मध्य प्रदेश के शहरी निकायों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन: बालाघाट जिले की नगरपालिका के विशेष संदर्भ में, यह अध्ययन भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संकलित जनगणना आंकड़ों और अन्य द्वितीयक आंकड़ों, योजना आयोग और राज्य योजना आयोग की रिपोर्टों, कई प्रकाशित पुस्तकों और अप्रकाशित पीएचडी शोध प्रबंधों और रिपोर्टों के विश्लेषण पर आधारित है।

.

परिणाम और चर्चा:

भौगोलिक दृष्टि से, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में २१.६° उत्तर-२६.३०° उत्तर अक्षांश और ७४°९' पूर्व-८२°४८' पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य भारत के ठीक केंद्र में स्थित है, इसलिए इसे "भारत का हृदय" कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग ३.०८ लाख वर्ग किलोमीटर है और यहाँ ७२.६ मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। राज्य का जनसंख्या घनत्व २३६ प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ष २००१-११ के दौरान राज्य की जनसंख्या में २०.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि

शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर इस अवधि के दौरान २५.६ प्रतिशत रही, जो काफी अधिक थी। लगभग एक चौथाई (२८%) जनसंख्या, जिसमें २०.१ मिलियन लोग शामिल हैं, ४७६ कस्बों और शहरों में रहती है। देश के बाकी हिस्सों की तरह, मध्य प्रदेश में भी शहरीकरण का प्रभाव अधिक है। कुछ बड़े शहरों में शहरी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा रहता है। [७]

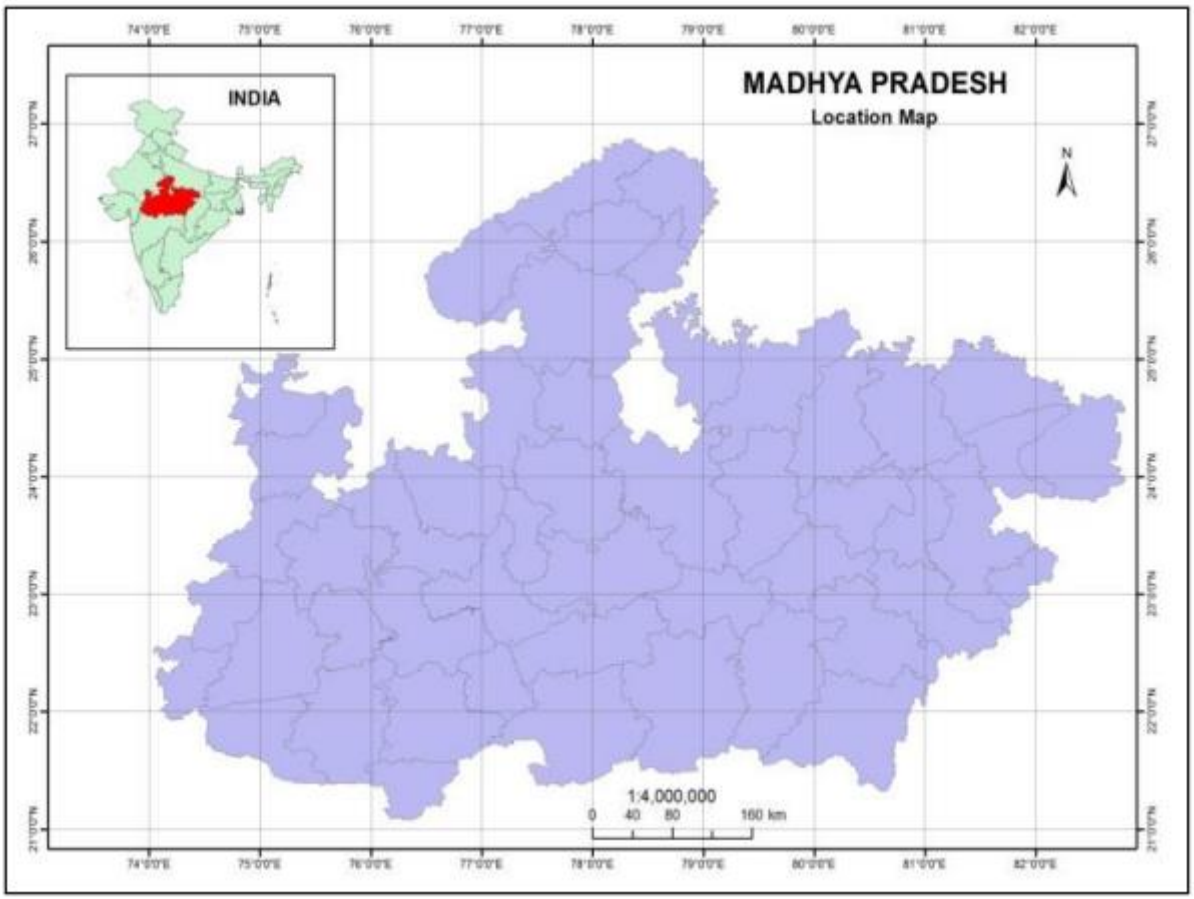

चित्र १: मध्य प्रदेश का स्थान मानचित्र

मध्यप्रदेश में नगरीकरण की स्थिति

मध्यप्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग ३.०८ लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या ७.२६ करोड़ थी, जिसमें लगभग २.०१ करोड़ जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। राज्य की नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण नगरीय सेवाओं की मांग भी बढ़ी है। [८]

शहरी स्थानीय निकायों का प्रोफाइल

मध्य प्रदेश में, शहरी स्थानीय निकायों को उनके अधिकार क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तालिका १.१ में दर्शाए अनुसार कुल ४०७ शहरी स्थानीय निकाय हैं।:

तालिका १.१: मध्य प्रदेश राज्य में श्रेणीवार शहरी स्थानीय निकाय

शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या
नगर निगम	१६
नगर पालिका परिषद	९८
नगर परिषद	२९३
कुल	४०७

(स्रोत: शहरी प्रशासन एवं विकास निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार)

नगर निगम (नगर निगम) मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, १९५६ द्वारा शासित होते हैं और अन्य शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका परिषद और नगर परिषद) मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ द्वारा शासित होते हैं। प्रत्येक निगम/नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया गया है, जिन्हें पार्षदों के चुनाव के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित किया जाता है। सभी शहरी स्थानीय निकायों में एक निर्वाचित निकाय होता है जिसमें नगर निकाय के प्रमुख के रूप में महापौर/अध्यक्ष और परिषद के सदस्यों के रूप में पार्षद शामिल होते हैं। [९]

बालाघाट में शहरी स्थानीय निकाय:

शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) कस्बों और शहरों के लिए नगरपालिका सरकार है। जनसंख्या के आधार पर, यह नगर पंचायत (छोटा शहर), नगर पालिका/नगरपालिका (मध्यम शहर) या नगर निगम/नगर निगम (बड़ा शहर) हो सकता है। यह नागरिक सेवाएं - जल, स्वच्छता, सड़कें, स्ट्रीट लाइट - प्रदान करता है और व्यापार लाइसेंस, विक्रेता परमिट और दीनदयाल जन आजीविका योजना, शहरी जैसी शहरी आजीविका योजनाओं का संचालन करता है। यदि आप किसी कस्बे में रहते हैं, तो शहरी स्थानीय निकाय वह स्थान है जहां नागरिक शिकायतों, व्यापार परमिट और शहरी कल्याण कार्यक्रमों का निपटारा किया जाता है।

अर्थव्यवस्था

२००६ में पंचायती राज मंत्रालय ने बालाघाट को देश के २५० सबसे पिछड़े जिलों में से एक घोषित किया (कुल ६४० जिलों में से)। यह मध्य प्रदेश के उन २४ जिलों में से एक है जिन्हें वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम (बीआरजीएफ) से धनराशि प्राप्त हो रही है। [१०-११]

तालिका १.२: शासन:

कानून/नीति का दायरा	दायरा
७४वां संवैधानिक संशोधन	शहरी स्थानीय निकायों और उनके कार्यों की स्थापना करता है
नगर निगम / नगर निगम अधिनियम (राज्य-विशिष्ट)	शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन के लिए राज्य-विशिष्ट नियम
आदर्श नगरपालिका कानून, २००३	शहरी विकास मंत्रालय (अब शहरी प्रबंधन मंत्रालय) द्वारा राज्यों के लिए अपने नगर पालिका अधिनियमों को ७४वें संशोधन के अनुरूप बनाने हेतु जारी किया गया मॉडल विधेयक
यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, २०१४	शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए मास्टर प्लान/विकास योजना तैयार करने हेतु शहरी प्रबंधन मंत्रालय के तकनीकी नियोजन मानदंड (शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन)
स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, २०१४	विक्रेताओं की आजीविका की रक्षा करता है; वेंडिंग ज़ोन और पहचान पत्र अनिवार्य करता है
डी-जेए (एस) दिशानिर्देश (मोहुआ)	नगर निकायों के माध्यम से शहरी आजीविका सहायता
अमृत / अमृत २.० दिशानिर्देश	शहरी जल और सीवरेज अवसंरचना

मध्य प्रदेश के शहरी प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था:

- मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, १९५६ और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ मध्य प्रदेश में शहरी प्रशासन को नियंत्रित करते हैं।
- नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है।
- मध्य प्रदेश में शहरी प्रशासन की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है।. [१२]

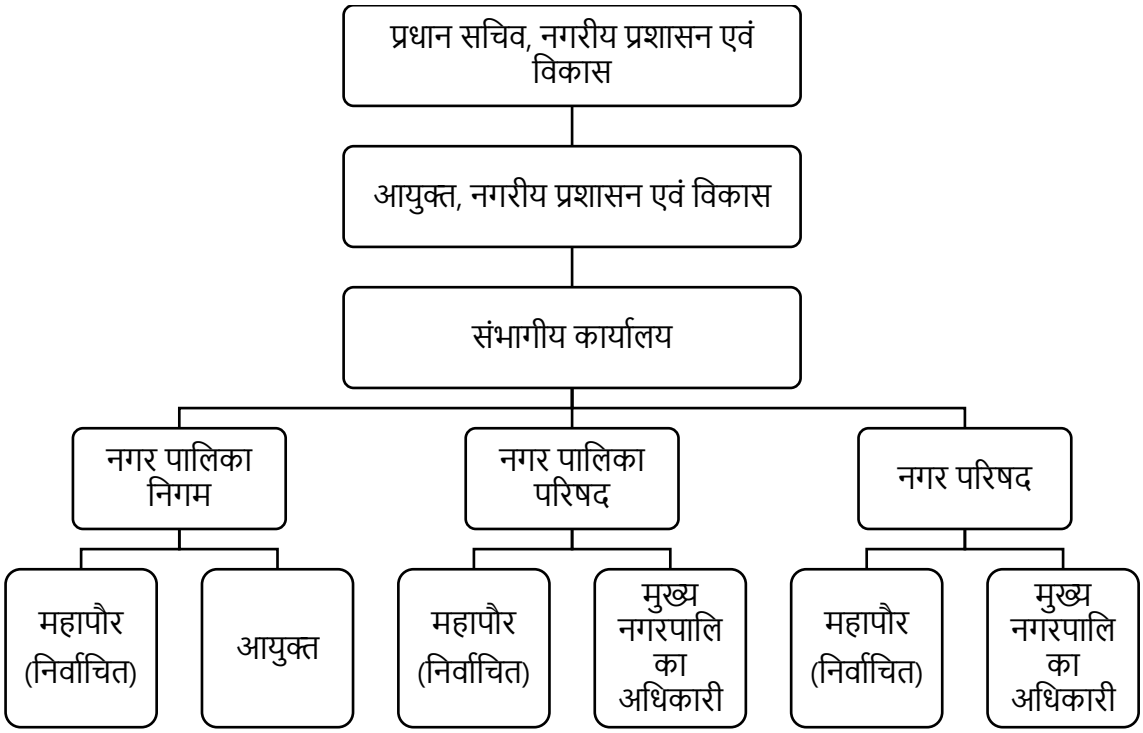

चित्र २: मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन की संरचना

मध्य प्रदेश शहरी प्रशासन की संरचना

- **य**ह अधिनियम मध्य प्रदेश में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है:
- नगर पंचायत - संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए, अर्थात् ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों के लिए
- नगर पालिका - छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए परिषद
- नगर निगम - बड़े **शहरी क्षेत्रों के लिए**.

नगर पंचायत

- यह शहरी स्थानीय निकाय १०,००० से कम आबादी वाले अर्ध-शहरी क्षेत्र में स्थापित किया जाता है।
- सामान्यतः, नगर पंचायत को १०-२० वार्डों में विभाजित किया जाता है।
- मध्य प्रदेश में २६४ नगर पंचायतें हैं।
- नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। जनता गुप्त मतदान के माध्यम से उनका चुनाव करती है।
- उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। निर्वाचित पार्षद उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।
- मुख्य नगर अधिकारी (सीएमओ) नगर पंचायत के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।
- मध्य प्रदेश सरकार नगर परिषद के लिए दो विशेषज्ञ सदस्यों को मनोनीत करती है।
- पदेन सदस्यों में संसद सदस्य और संबंधित क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं।.

नगरपालिका (नगर पालिका)

- मध्य प्रदेश में नगरपालिका की स्थापना १०,००० से १ लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है।
- इसमें १५ से ४० वार्ड होते हैं।
- मध्य प्रदेश में ९८ नगरपालिकाएँ हैं।
- मध्य प्रदेश सरकार नगरपालिका परिषद में चार विशेषज्ञ सदस्यों को मनोनीत करती है।
- पदेन सदस्यों में संबंधित क्षेत्र के सांसद और विधानसभा सदस्य शामिल होते हैं।
- अध्यक्ष और वार्ड प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। जनता गुप्त मतदान के माध्यम से उनका चुनाव करती है।
- उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। नगरपालिका के निर्वाचित पार्षद उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।
- मुख्य नगर अधिकारी (सीएमओ) नगरपालिका के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।.

नगर निगम

- मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम १९५६ के तहत मध्य प्रदेश में नगर निगम की स्थापना की गई।
- ३ लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक बड़े शहर में नगर निगम की स्थापना की जाती है।
- जनसंख्या के आधार पर नगर निगम में ४० से ७० वार्ड होते हैं।
- मध्य प्रदेश में १६ नगर निगम हैं। ये हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, रीवा, सागर, उज्जैन, खंडवा, देवास, रतलाम, बुरहानपुर, कटनी, सिंहरौली, छिंदवाड़ा और मोरेना।
- २०१४ में छिंदवाड़ा और मोरेना नगर निगम बन गए।
- भिंड और दतिया प्रस्तावित नगर निगम हैं।
- मध्य प्रदेश सरकार नगर निगम में छह विशेषज्ञ सदस्यों को मनोनीत करती है।
- पदेन सदस्यों में संबंधित क्षेत्र के सांसद और विधानसभा सदस्य शामिल होते हैं।
- नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। महापौर और वार्ड प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। जनता गुप्त मतदान के माध्यम से उनका चुनाव करती है।
- अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। नगर निगम के निर्वाचित पार्षद अध्यक्ष का चुनाव करते हैं।
- मुख्य नगर अधिकारी (सीएमओ) नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
- नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख नगर आयुक्त होता है। [१३]

निष्कर्ष:

मध्यप्रदेश में नगरीय स्थानीय निकाय स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं, जो नागरिकों को आधारभूत सेवाएँ प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। ७४वें संविधान संशोधन के पश्चात इन संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ है, परंतु वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी चुनौतियाँ अभी भी इनके प्रभावी संचालन में बाधा उत्पन्न करती हैं। बालाघाट नगरपालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर विकासात्मक कार्यों में प्रगति हुई है, किन्तु संसाधनों की कमी तथा प्रशासनिक सीमाओं के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। अतः नगरीय निकायों को अधिक स्वायत्तता, पर्याप्त वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराकर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इससे स्थानीय शासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बनेगा तथा सतत नगरीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

संदर्भ:

1. "नगर पालिका बालाघाट". १८ सितंबर २०२५ को प्राप्त किया गया।
2. "जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश सरकार | भारत". १० अप्रैल २०२३ को प्राप्त किया गया।
3. अहलूवालिया, मोंटेक एस (२०००); "सुधारों के बाद के काल में राज्यों का आर्थिक प्रदर्शन", आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, ६ मई।
4. भगत, आर.बी (२००५); "भारत में ग्रामीण-शहरी वर्गीकरण और नगरपालिका शासन", सिंगापुर जर्नल ऑफ टॉपिकल ज्योग्राफी २६(१): ६१ – ७४।
5. अहलूवालिया, आई. जे. (२०१९). भारत में शहरी शासन। जर्नल ऑफ अर्बन अफेयर्स, ४१(१), ८३-१०२.https://doi.org/१०.१०८०/०७३५२१६६.२०१६.१२७१६१४
6. बालासुब्रमण्यम, एम. (२०१८) भारत में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: स्थिति, समस्याएं और चुनौतियां। इंटरनेशनल जर्नल एनवायरनमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, २१ (४): २५३-६६.
7. बोस, आशीष (१९८०): "भारत का शहरीकरण १९०१-२००१" इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली।
8. कुमार निखिल, एम. सुंदरराजन और डी.डी. मिश्रा (२००२) "झारखंड राज्य के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन: एक वैचारिक दृष्टिकोण", जल और अपशिष्ट जल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य (WAPDEC २००२), IIT दिल्ली -११००१६, १०-१३ दिसंबर, २००२
9. जया नायर, "समान प्रतिनिधित्व? लैंगिक कोटा पर बहस," हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू, २९ नवंबर, २०२१, https://hir.harvard.edu/equal-representation-the-debate-over-gender-quotas-part-१/

10. प्राची कौर, श्रुति गुप्ता, "बेंगलुरु के मामले के माध्यम से भारत में शहरी स्थानीय शासन की जांच," पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, २४ दिसंबर, २०२० https://prsindia.org/theprsblog/examining-urban-local-governance-in-india-through-the-case-of-bengaluru
11. "जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश सरकार | भारत"। १० अप्रैल २०२३ को प्राप्त किया गया।
12. जनगणना संचालन निदेशालय, मध्य प्रदेश। "जिला जनगणना पुस्तिका बालाघाट" (पीडीएफ)। भारत की जनगणना २०११।
13. भार्गव, अर्चना (१९९१)। आर्थिक विकास के लिए संसाधन और योजना। उत्तरी पुस्तक केंद्र। पृष्ठ १९. ISBN ९७८८१८५११९७१७. ११ जुलाई २०१० को प्राप्त किया गया।